Bentham: Judicial system, Punishment & Regarding Jail Reforms

Part - 4

बेन्थम इंग्लैण्ड में तत्कालीन प्रचलित न्याय-व्यवस्था से काफी क्षुब्ध था। तत्कालीन प्रचलित न्यायव्यवस्था अत्यन्त ही दोषपूर्ण तथा सभ्य समाज के लिए अपमानजनक माना जा सकता था। बेन्थम के ही शब्दों में "इस देश में न्याय बेचा जाता है और बड़े मँहगे दामों पर बेचा जाता है, जो व्यक्ति मूल्य नहीं चुका सकता वह न्याय भी प्राप्त नहीं कर सकता।" अतः गरीबों को न्याय मिलना कठिन ही नहीं असम्भव था। कानून बहुत क्लिष्ट और न समझ पाने योग्य भाषा में बनाये जाते थे। अतः उसकी व्याख्या के लिए वकीलों की आवश्यकता बराबर बनी रहती थी। इस तरह अधिक व्यय, समय की बर्बादी और अनिश्चितता तत्कालीन न्याय व्यवस्था की विशेषताएँ बन गयी थी।

बेन्थम ने उस समय प्रचलित न्याय व्यवस्था की कटु आलोचना की और उसमें व्यापक बुनियादी सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। इस दृष्टि से उसने न्यायधीशों की निरंकुशता को दूर करने और उनमें उत्तरदायित्व की भावनाओं को जाग्रत करने तथा न्याय को कम खर्चीला और सर्वसुलभ बनाने के लिए कई सुधारों के सुझाव दिये जिसके फलस्वरूप इंग्लैण्ड की न्याय-व्यवस्था में कई मौलिक और बुनियादी सुधार हुए और उसका सही दिशा में न्याय व्यवस्था सुधार सम्भव हुआ।

बेन्थम ने दण्ड व्यवस्था और जेल सुधार के सम्बन्ध में उपयोगितावादी दृष्टिकोण से चिन्तन किया तथा उसी अनुरूप उसने सुधार के लिए सुझाव दिये। बेन्थम इंग्लैण्ड में प्रचलित दण्ड व्यवस्था से बड़ा ही असंतुष्ट था। उस समय इंग्लैण्ड की प्रचलित दण्ड व्यवस्था बहुत ही कठोर था। उसका

माना था कि यह व्यवस्था न तो सामाजिक हित के अनुकूल थी और न अपराधी को अपराध करने से विमुख करने में समर्थ थी। उसका मानना था कि दण्ड का उद्देश्य बदला लेना नहीं, वरन अपराधी और समाज के सुधार का होना चाहिए और इसलिए दण्ड की मात्रा, अपराध की मात्रा, और गम्भीरता के अनुपात में ही होनी चाहिए। न वह उससे ज्यादा होनी चाहिए न कम, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में दण्ड व्यवस्था समाज सुधार के अपने लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहेगी। अर्थात्, सामाजिक कल्याण ही दण्ड व्यवस्था का मापदण्ड होना चाहिए।

स्पष्ट है कि बेन्थम अपराधियों अपराध के दण्ड निर्धारित करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखने की बात कही है:

1. वे परिस्थितियाँ जिनमें अपराधी अपराध करने के लिए प्रेरित हुआ।
2. अपराध की प्रकृति कैसी है, गम्भीर या साधारण।
3. अपराध करने में अपराधी का उद्देश्य क्या था।
4. अपराध द्वारा किस प्रकार से व्यक्ति को हानि पहुँची है।

बेन्थम का मानना है कि दण्ड देने के उद्देश्य निम्न रूप में होना चाहिए?

a. दण्ड अपराध की मात्रा के अनुपात में हो।
b. दण्ड का उद्देश्य अपराधी को अनावश्यक पीड़ा पहुँचाना न हो तथा एक जैसे अपराधों के लिए दण्ड की समान व्यवस्था हो।
c. दण्ड का आदर्श हो अर्थात् शिक्षाप्रद हो।
d. दण्ड का उद्देश्य अपराधी एवं समाज का सुधार करना हो।
e. दण्ड के द्वारा उस व्यक्ति की क्षतिपूर्ति की जाये जिसको अपराधी से क्षति हुई हो।
(f) अपराधी को लोकप्रियता से दूर रखा जाये, नहीं तो दण्ड का उद्देश्य पूर्ण होना कठिन होगा।
(g) अपराधी के पुनर्वासीकरण की व्यवस्था हो, ताकि

Scanned with CamScanner

गलत रूप से दिये गये दण्ड में आवश्यक परिवर्तन सम्भव हो सके।

डेविडसन ने ठीक ही कहा है कि "बेन्थम का विचार था कि दण्ड देने में भावना या दुर्भावना से काम नहीं लिया जाना चाहिए।" इस प्रकार इन विभिन्न उद्देश्यों से प्रेरित दण्ड व्यवस्था का समर्थक होने के कारण बेन्थम समाज कल्याण की दृष्टि से केवल गम्भीर अपराधों के लिए मृत्युदण्ड का पक्षपाती था।

Suggestions regarding Jail Reforms :- तत्कालीन ब्रिटिश जेलखानों की दशा अत्यन्त ही शोचनीय और असंतोषजनक थी। अपराधियों के साथ जेल में पशुवत व्यवहार किया जाता था। बेन्थम इंग्लैण्ड में जेल की तत्कालीन व्यवस्था से काफी क्षुब्ध और चिन्तित था। बेन्थम जेल के इस चरित्र को समाप्त करना चाहता था और उन्हें सुधार गृह के रूप में परिवर्तित करना चाहता था जहाँ अपराधियों को सजा काटने के दौरान लाभदायक काम का प्रशिक्षण दिया जा सके, ताकि सजा काटने के बाद जेल से बाहर आने पर वे एक उपयोगी और सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें।

इस प्रकार बेन्थम ने लगभग मानव जीवन के हर क्षेत्र में सुधारों की योजना प्रस्तुत की तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए आन्दोलन कर जनमानस को प्रेरित किया। फलतः समाज सुधार के क्षेत्र में उसका योगदान महान है। ~~~~ सेबाइन ने ठीक ही कहा है कि

"पिछली पाँच पीढ़ियों में ब्रिटेन में कोई ऐसा सुधार नहीं हुआ जिसका मूल प्रेरणा स्रोत बेन्थम नहीं रहा हो।"